न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निग – 2019 – PBR-16 प्रकरण क्र............

महर्षि शिक्षा संस्थान
द्वारा अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी,
(विधिक) इन्द्रजीत दत्त, आयु वयस्क,
आ0 श्री के.के.दत्त, निवासी–महर्षि शिक्षण
संस्थान केम्पस, लाम्बाखेड़ा, भोपाल --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. श्रीमति उजमा साजिद, आयु वयस्क
पत्नी श्री सैय्यद साजिद अली,
निवासी–अट्टा सूजे खां मस्जिद
शकूर खां के पास, कोतवाली रोड,
भोपाल म.प्र. --- उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 43/अ–3/15–16 में पारित अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2219–पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.09.2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि बटांन में कब्जा अनुसार पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति बताई जाती है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आपत्तिकर्ता पड़ोसी कृषक होकर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	